

सं.40-3/2020-डीएम-1(ए)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक 17 मई, 2020

### आदेश

जबकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(झ) के अंतर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने दिनांक 24.03.2020, 14.04.2020 और 01.05.2020 के आदेशों के तहत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय करने का निदेश दिया था;

जबकि, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लॉकडाउन के उपायों के बारे में दिनांक 24.03.2020, 29.03.2020, 14.04.2020, 15.04.2020 और 01.05.2020 के समसंख्यक आदेश जारी किए हैं;

जबकि, इस आदेश के साथ संलग्न दिशानिर्देशों में अन्यथा किए गए प्रावधान के सिवाय, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किए गए सभी आदेश 18.05.2020 से प्रभावी नहीं रहेंगे;

जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(झ) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 17.05.2020 का आदेश सं.1-29/2020-पीपी जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को यह निदेश दिया गया है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय देश के सभी भागों में दिनांक 31.05.2020 की और अवधि तक लागू रखे जाए;

अतः अब, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिनांक 17.05.2020 के उक्त आदेश के निर्देशों के अधीन, और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को, कड़ाई से लागू किए जाने के निदेश एतत् द्वारा जारी करते हैं कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय इस आदेश के साथ संलग्न दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 की अवधि तक जारी रहेंगे।

हस्ता०/-

केन्द्रीय गृह सचिव

सेवा में:

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- i. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य।
- ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

देश में दिनांक 31.05.2020 तक कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार, के मंत्रालयों/विभागों राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले उपायों से संबंधित दिशानिर्देश।

[गृह मंत्रालय के दिनांक 17 मई, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) के अनुसार]

1. लॉकडाउन दिनांक 31 मई, 2020 तक लागू रहेगा।

2. पूरे देश में निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी :

- i. यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।
- ii. घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस तथा सुरक्षा प्रयोजनों या गृह मंत्रालय की अनुमति प्राप्त अन्य प्रयोजनों को छोड़कर, मेट्रो रेल सेवा।
- iii. स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी तथा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
- iv. होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। स्वास्थ्य/पुलिस/सरकारी अधिकारियों/स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं/पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों को ठहराने तथा क्वारंटीन सुविधाओं के लिए इन सेवाओं के उपयोग की अनुमति होगी। बस डिपो, रेलवे स्टेशनों तथा हवाईअड्डों पर कैटीन चलाने की अनुमति होगी। रेस्तरां को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी।
- v. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल्स, व्यायामशाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार तथा सभागार, बैठक हॉल तथा ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी; तथापि, दर्शकों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी।
- vi. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य/अन्य सभा तथा बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे।
- vii. सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखा जाएगा। धार्मिक सभाओं पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा।

3. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, निम्नलिखित गतिविधियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति होगी :

- i. सभी राज्य (राज्यों)/संघ राज्य क्षेत्र (क्षेत्रों) की आपसी सहमति से यात्री वाहनों और बसों का एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन।
- ii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, यात्री वाहनों और बसों का राज्य के भीतर आवागमन।
- iii. **अनुलग्नक-1** में किए गए उल्लेख के अनुसार, लोगों की आवाजाही के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) लागू रहेंगी।

#### 4. कोविड-19 की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय निर्देश

**अनुलग्नक-11** में बताए गए अनुसार, कोविड-19 की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा।

#### 5. कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन

- i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बताए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारित किए जाएंगे।
- ii. जिला प्राधिकारियों द्वारा रेड और ऑरेंज जोन के भीतर, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का सीमांकन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- iii. कंटेनमेंट जोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इन जोनों में और इन जोनों से लोगों की आवाजाही रोकने के लिए, सख्त घेराबंदी की जाएगी। यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा।
- iv. कंटेनमेंट जोनों में गहन कंटेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलेंस तथा आवश्यकतानुसार अन्य क्लिनिकल इंटरवेंशन किए जाएंगे।

#### 6. रात्रि कर्फ्यू

आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी। स्थानीय प्राधिकारी, कानून के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत, अपने संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में आदेश अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी करेंगे तथा इनका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

#### 7. कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं।

#### 8. विशेष रूप से निषिद्ध की गई गतिविधियों को छोड़कर, अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति होगी।

तथापि, कंटेनमेंट जोनों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी जिनका उल्लेख ऊपर पैरा 5 (iii) में किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, अपनी स्थिति के आकलन के आधार पर, विभिन्न जनों में कुछ अन्य गतिविधियों को निषिद्ध कर सकते हैं या आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं।

## 9. आरोग्य सेतु का उपयोग

- i. आरोग्य सेतु संक्रमण के संभावित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और यह व्यक्तियों और समुदायों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।
- ii. कार्यालयों और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नियोक्ताओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करें कि कम्पेटिबल मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इन्सटॉल कर लिया गया है।
- iii. जिला प्राधिकारी लोगों को यह सलाह दें कि वे कम्पेटिबल मोबाइल फोनों पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टाल करें और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें। इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा होगी

## 10. कुछ मामलों में व्यक्तियों और वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए विशेष निदेश

- i. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चिकित्सा के पेशेवर लोगों, नर्सों और परा-मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा राज्य के भीतर जाने-आने देंगे।
- ii. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाली ट्रकों सहित सभी प्रकार के माल/कार्गो को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने-लाने देंगे।
- iii. कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पड़ोसी देशों के साथ हुई संधियों के अंतर्गत, भू-सीमा से होने वाले व्यापार से संबंधित किसी प्रकार के सामान/कार्गो के आवागमन को नहीं रोकेगा।

## 11. दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करना।

- i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कोई ढील नहीं देंगे।
- ii. सभी जिला मजिस्ट्रेट इन उक्त उपायों को कड़ाई से लागू करेंगे।
- iii. इन उपायों को लागू करने के उद्देश्य से, जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्रों में इंसिडेंट कमांडर के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की तैनाती करेंगे। इंसिडेंट कमांडर अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इन उपायों को पूरी तरीके से लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

## 12. दंडात्मक प्रावधान

इन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और यथा लागू अन्य किसी कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

हस्ता०/-  
केन्द्रीय गृह सचिव

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)

- i. भारत में विदेशी नागरिकों के लिए ट्रांजिट प्रबंधों के बारे में, दिनांक 2 अप्रैल, 2020 के आदेश के तहत जारी की गई एसओपी।
- ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर फंसे हुए श्रमिकों का उन्हीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवागमन के बारे में, दिनांक 19 अप्रैल, 2020 के आदेशों के तहत जारी की गई एसओपी।
- iii. भारतीय सीफेयर्य के साइन-ऑन और साइन-ऑफ से संबंधित दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के आदेश के तहत जारी की गई एसओपी।
- iv. फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के आवागमन के बारे में, दिनांक 29 अप्रैल, 2020 के आदेश तथा दिनांक 01 मई, 2020 के आदेश के तहत जारी की गई एसओपी।
- v. देश के बाहर फंसे हुए नागरिकों के आवागमन तथा संबंधित व्यक्तियों की विदेशी यात्रा के बारे में, दिनांक 05 मई, 2020 के आदेश के तहत जारी की गई एसओपी।
- vi. ट्रेन द्वारा व्यक्तियों के आवागमन के बारे में, दिनांक 11 मई, 2020 के आदेश के तहत जारी की गई एसओपी।

\*\*\*\*\*

## कोविड 19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

- i. सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
- ii. सार्वजनिक और कार्यस्थलों में थूकना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।
- iii. सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सभी व्यक्तियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।
- iv. विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी और 50 से अधिक अथितियों की अनुमति नहीं होगी।
- v. अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी तथा 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी।
- vi. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं है।
- vii. दुकानों पर ग्राहकों के बीच कम-से-कम 6 फीट की दूरी (2 गज की दूरी) सुनिश्चित की जाएगी और दुकान पर 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

### कार्यस्थलों के बारे में अतिरिक्त निर्देश

- viii. जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।
- ix. कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन किया जाएगा।
- x. सभी प्रवेश एवं निकास स्थलों तथा कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
- xi. समस्त कार्यस्थल, जन सुविधाओं और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाएगा।
- xii. कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, मजदूरों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टॉफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि के द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।

**लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन का अपराध करने पर दंड**

**क. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60**

**51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड-** जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,

- क. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या
- ख. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा;

वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसी बाधा या निर्देश का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

**52. मिथ्या दावे के लिए दंड-** जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

**53 धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड-** जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति, या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गयी है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

**54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड.-** जो कोई, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के सम्बन्ध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

**55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध.-** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

**56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौन सहमति-** ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

**57. अध्यक्ष के सम्बन्ध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति-** यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

**58. कम्पनियों द्वारा अपराध-** (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध को किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई लिए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी मन जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण –** इस धारा के प्रयोजन के लिए –

- I. "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और
- II. फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्रेत उस फर्म के भागीदार से है।

**59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी.-** धारा 55 और 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

**60. अपराधों का संज्ञान.-** कोई भी अदालत इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय नहीं करेगा-

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जैसा भी केस हो; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत या अधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

## ख भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188

**188. लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा** — जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा; यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की रिस्क कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दौ सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बलवा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

*स्पष्टीकरण* — यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होने की संभावना है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।

*दृष्टांत*

ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए अधिकारप्राप्त किसी लोक सेवक द्वारा यह निदेश देते हुए एक आदेश प्रख्यापित किया गया है कि एक धार्मिक जुलूस एक निश्चित सड़क से नहीं गुजरेगा। A जानबूझकर इस आदेश की अवज्ञा करता है, और जिससे दंगे का खतरा होता है। A ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है।

\*\*\*\*\*